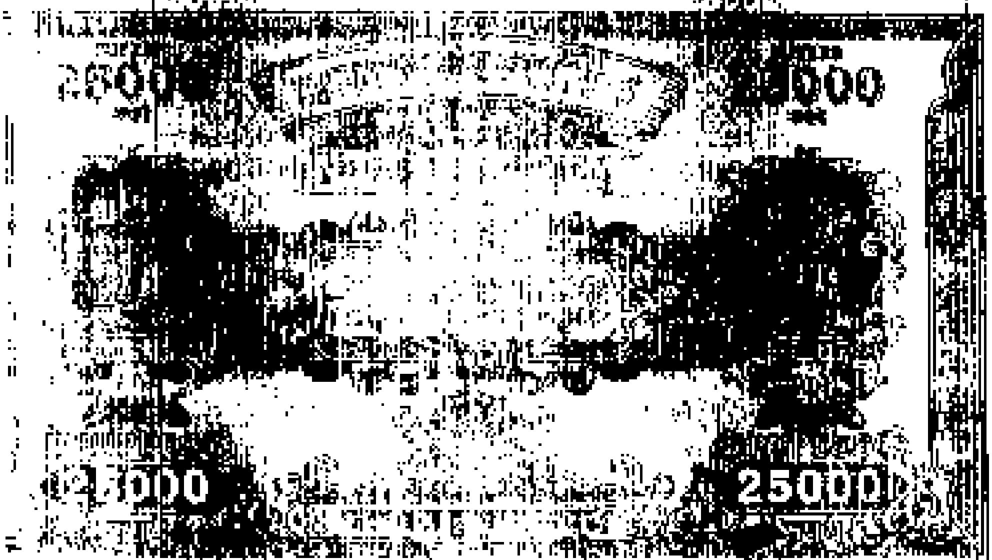

K. K. SINGH

T.O.

AGRA

24 MAR

0300 770041

उ०प्र० स्टाम्प (संशोधन) अधि० १९९८ की धारा २(१८) व सूची १-बी के आर्टिकल-२३ के अनुसार स्टाम्पित -

[illegible] मिश्रा
सचिव

श्री [illegible] सहकारी आवास समिति लि० [illegible] सहकारी आवास समिति लि०
आगरा आगरा

- विक्रय मालियत = [illegible],००,०००) रुपया
- श्री [illegible] भूमिधरी [illegible]
  [illegible] -
  (क) रकबा [illegible] हेक्टेयर [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]
  [illegible] [illegible]
  (ख) रकबा [illegible] हेक्टेयर [illegible] [illegible]-[illegible]
  [illegible]
  [illegible]-[illegible] [illegible]
- कुल रकबा - [illegible] हेक्टेयर [illegible]
  [illegible] [illegible] [illegible]
  और २०० [illegible] कृषि भूमि [illegible] है

[illegible] सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

[illegible]
सचिव
[illegible] सहकारी [illegible]
आगरा

Rs.25000 Rs.25000 Rs.25000 Rs.25000

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

25000

25000 25000

Rs.25000 Rs.25000 Rs.25000 Rs.25000

N. K. SINGH
T.O.
AGRA
24 MAY 2004

0300 770042

- जिलाधिकारी आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये घोषित क्षेत्रीय दर ब्यालीस लाख रुपया प्रति हैक्टेयर के अनुसार दस प्रतिशत की दर से १,११,४००) रुपया का स्टाम्प अदा कियागया है।

-0-0-0-

इसकि श्री साईराम सहकारी आवास समिति लि० आगरा द्वारा वर्तमान सचिव व अधिकृत प्रतिनिधि व हस्ताक्षरी डा० अनिल चौधरी पुत्र डा० रामकिशन चौधरी निवासी १ प्रतिभा एन्क्लेव दयालबाग शहर आगरा-------------------विक्रेता प्रथमपक्ष

व।

पावन सहकारी आवास समिति लि० आगरा निबंधन संख्या ३१३२ दिनांक ७-६-२००२ द्वारा वर्तमान सचिव व अधिकृत प्रतिनिधि हस्ताक्षरी श्री जयदीप कुमार तिवारी पुत्र श्री बनोखेलाल निवासी २३ विनायक विहार ककरैठा शहर आगरा ---------- क्रेता द्वितीयपक्ष हैं।

सचिव
श्री साईराम सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

(जयदीप कुमार तिवारी)
सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000

N. K. SINGH
T.O.
AGRA
24 MAY 2004

03DD 770043

विदित हो कि प्रथमपक्ष समिति उक्त आराजी संक्रमणीय भूमिधरी को द्वारा दो किता बैनामा के नविस्ता अनिल कुमार दीक्षित बहैसियत मुख्तार आम सिकन्दरा विकास प्राधिकरण कर्मचारी सहकारी आवास समिति लि० आगरा मौसूमा उक्त प्रथमपक्ष समिति लैख दिनांक १-६-२००३ व रजिस्टरी दिनांक ३-६-२००३ मुंदर्जा बही नं०१ जिल्द ४८२६ के सफा २०७/२१० नम्बर ३८१२ व दफ्तर उप निबंधक-१ आगरा व दोयमी नविस्ता सूरज नगर सहकारी आवास समिति लि० आगरा मौसूमा उक्त प्रथमपक्ष समिति लैख दिनांक १-६-२००३ व मुसद्दिका ३-६-२००३ मुंदर्जा बही नं०१ जिल्द ४८२६ के सफा २४५। २७६ नम्बर ३८११ के खरीद कर कब्जा व दखल दाखिल किया और मालिक काबिज बने अन्य कोई दावेदार या हकशिफा आदि किसी प्रकार का नहीं है कि जो माने इंतकाल वगैरा का होवे और उक्त आराजी भूमिधरी आज तक हर तौर से कर्जे व बार व चार्ज व इंतकाल व मुआहिदे व हुक्मइम्तनाई वगैरा से कतई पाक व साफ है और उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान या ग्राम सभा आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद मे अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित हुआ है और न अम्यर्पित हुआ है और न कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है।

सचिव
[illegible] सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

(सुधीर कुमार [illegible])
सचिव
[illegible] सहकारी आ[illegible] समिति लि०
आगरा

Rs.25000 Rs.25000 Rs.25000 Rs.25000

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

25000

25000 25000

Rs.25000 Rs.25000 Rs.25000 Rs.25000

N. K. SINGH
T.O.
AGRA
24 MAY 2004

03DD 770044

विदित हो कि प्रथमपक्ष समिति को अपनी उक्त आराजी से कोई विशेष लाभ नहीं है और प्रथमपक्ष समिति के सदस्यगण उक्त आराजी के विकास आदि के लिये इच्छुक नहीं है और समिति का धन ब्लॉक हो गया है अतः प्रथमपक्ष अपने समान उद्देश्यों वाली अन्यसहकारी आवास समिति के हक मे बेचने को तैयार है और द्वितीयपक्ष समिति के सदस्यगण उक्त आराजी के विकास के लिये इच्छुक है अतः हम दोनो पक्षों की समितियों की बैठकों मे इस सम्बंध मे आवश्यक प्रस्ताव पारित हो चुके है जिसके अनुसार प्रथमपक्ष अपनी उक्त आराजी को द्वितीयपक्ष के हक मे बेचने को तैयार हैं।

अतः प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थचित्त मन बुद्धि इंद्रिय के बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के खूब सोच समझ कर उक्त दोनो बैनामों के द्वारा खरीदी हुई उक्त कुल आराजी रकबा ०.२६५ हेक्टेयर लगान हिस्सा रसदी को समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ व नामांकन के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अधिकार आदि के समिति द्वारा निश्चित बाजारी कीमतपर बिलमुक्ता व एकमुश्त ३,६०,०००) तीन लाख साठ हजार रुपया कि आधे जिसके एक लाख अस्सी हजार रुपया होते हैं बदस्त पावन सहकारी आवास समिति लि० आगरा उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के गुड टाइटिल से बैय मुतलक की और बेचदी।

[redacted]

सचिव
[redacted] सहकारी आवास समिति लि०
[redacted]

अध्यक्ष [redacted] समिति लि०

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

N. K. SINGH
T.O.
AGRA
17 MAY 2004

-५-

प्रथमपक्ष समिति ने कीमत का कुल रुपया इस बैनामा से पहले द्वितीयपक्ष से वसूल पाकर मुजरा दिया इस तरह प्रथमपक्ष का अब कोई रुपया पाना बाकी नहीं है और प्रथमपक्ष ने बेची गई आराजी पर से अपना कब्जा व दखल हटाकर द्वितीयपक्ष का करा दिया और द्वितीयपक्ष को बेची गई आराजी का मालिक मुस्तकिल व काबिज बना दिया तथा शुद्ध टायटिल दे दिया। अब द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह आराजी मुबैया से जरिये मालिक काबिज के चाहे जैसे लाभान्वित होवे क्रय-विक्रय आदि करे और चाहे जिस तौर इस्तेमाल में लावे और अपना नामांकन रेवेन्यू रिकार्ड्स में करा ले प्रथमपक्ष अपना सहयोग प्रदान करेंगे ।

सचिव
श्री [illegible]धाम सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

सचिव
पावन स[illegible] समिति लि०

5000Rs.

५000रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

K. SINGH
T.O.
AGRA
17 MAY 2004

-6-

यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार किसी प्रकार का बेची गई आराजी के सम्बंध में पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा द्वितीयपक्ष से करे और उसके कारण या प्रथमपक्ष के डिफेक्टिव टायटिल से कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से आराजी मुबैया का द्वितीयपक्ष से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही

सचिव
श्री साईंराम सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

सचिव
पवन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

C.T.O. AGRA
18 MAY 2004

व जिम्मेदारी व अदा करना परेसमन का मय सूद व हरजा व खरचा के व जिम्मे खास खास व जायदाद हर किस्म प्रथमपक्ष समिति व उनके सदस्यों के है और रहेगी और इसमें प्रथमपक्ष समिति व उसके सदस्यों कैर कभी कोई आपत्ति न होगी। इस बैनामा का कुल खरचा द्वितीय पक्ष के जिम्मे है। क्रेता समिति का पंजीकरण संख्या ३०६३ दिनांक २८-१-२००४ है।

सचिव
श्री साईंधाम सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

100Rs.

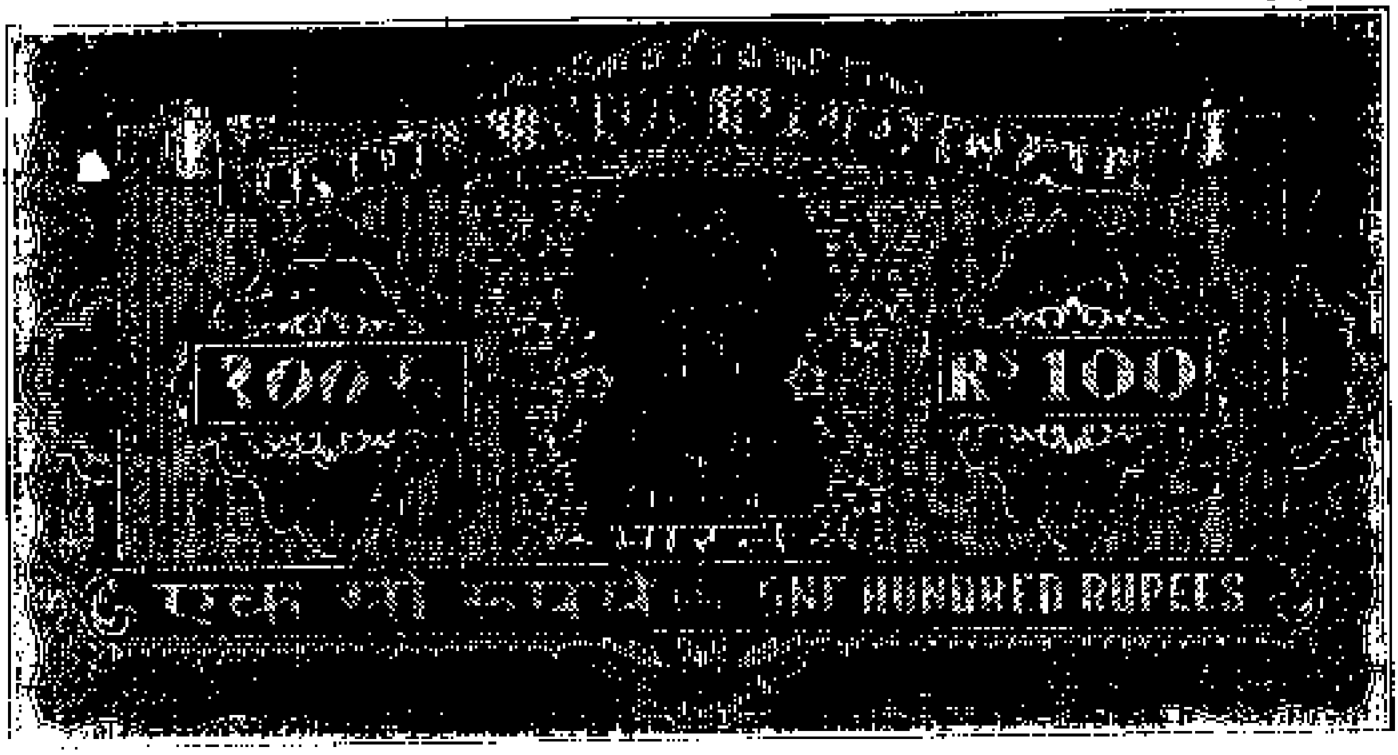

उक्त दोनो बैनामे उक्त द्वितीयपक्ष के सुपुर्द कर दिये हैं।

सचिव
साईंराम सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

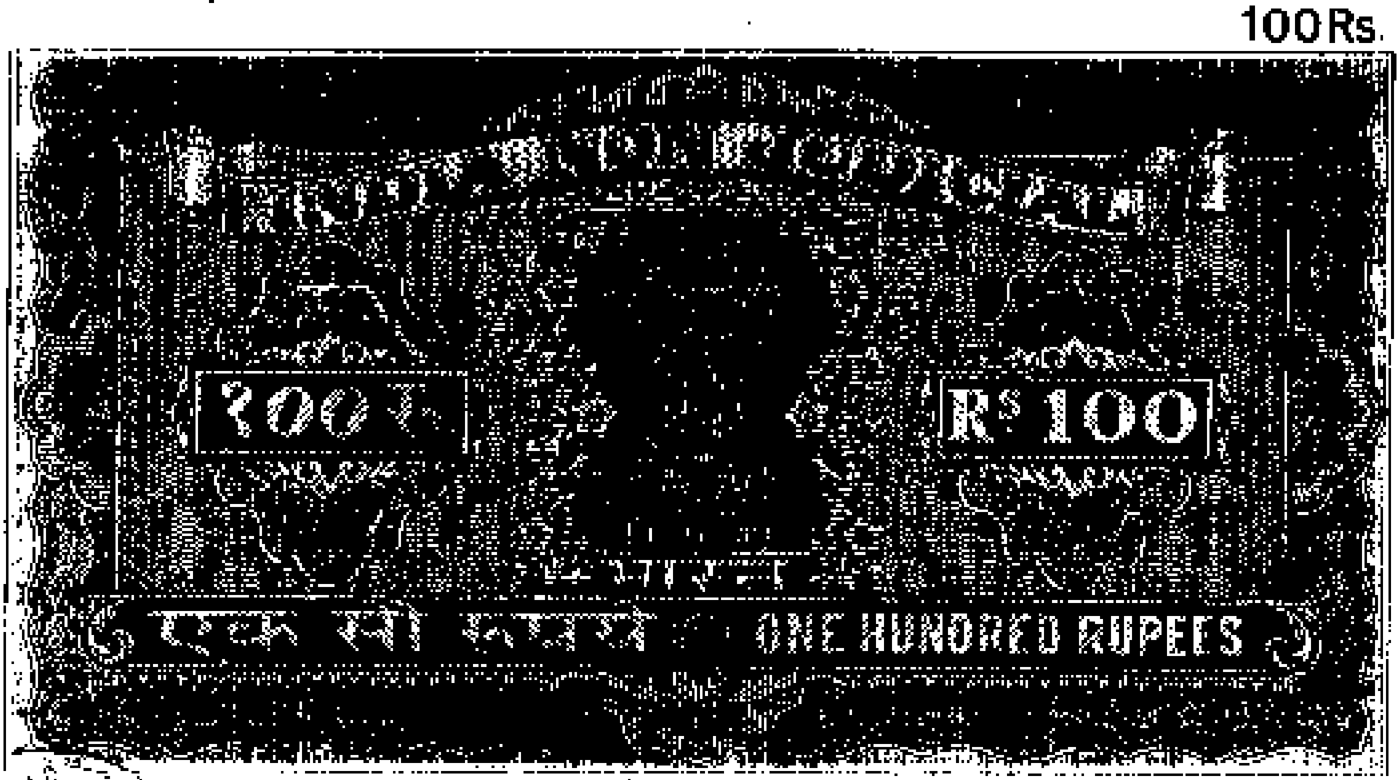

-६-

अतः यह बैनामा हस्ब हिदायत गवाहों के लिख दिया कि

सचिव
श्री साईंधाम सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

सचिव
[illegible] सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

100Rs.

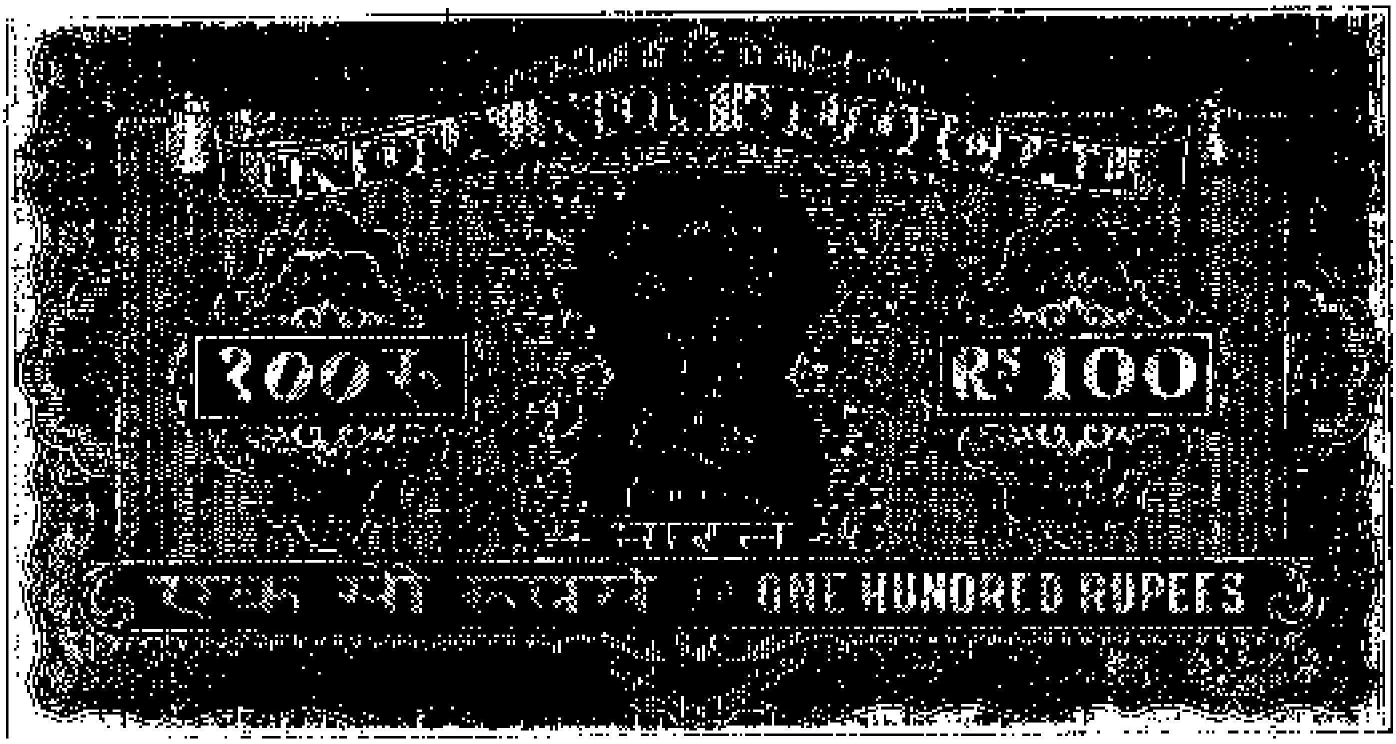

-१०-

सनदरहेऔर समयपर काम आवे । नोट-पर्त १ की सतर ५ मे (दो) गन्दा है जो हमको मंजूर है । लेख दिनांक- २५-५-२००४ई०।

सचिव
श्री साईराम सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

सचिव
पवन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

100Rs.

१०० रु.　　Rs 100

एक सौ रुपये　ONE HUNDRED RUPEES

मसौदा - पं० हनुमानप्रसाद कौशल निवासी नूरीदरवाजा आगरा।

टायपकर्ता० पूरनचन्द शर्मा तहसील परिसर आगरा।

दस्तावेज लेखक ... हनुमान प्रसाद कौशल
अनुज्ञप्ति सं० 6 ... तक विधि मान्य
जिला ...
फीस ली गई ... 7.50
दस्तावेज ...
PAN ABAPK-1876-F

सचिव
श्री सांईधाम सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

साक्षी श्री Sanjay Kumar Sharma
पुत्र श्री Ajay Kumar Sharma
निवासी 88, Friends Vihar, Dayalbagh
हस्ताक्षर

सचिव
पावन सहकारी आवास समिति लि०
आगरा

साक्षी श्री ... कुमार
पुत्र ... सिंह
नि० ... आगरा
हस्ताक्षर

स्टाम्प विक्रय की तिथि 24/4/08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

(गोविन्द सिंह भंसोनिया)
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं०-21
लाइसेंस की अवधि 31-3-2005
सदर तहसील परिसर, आगरा

आज दिनांक 2 5-5-01 को बही
सं० 1 1999 के
पृष्ठ 233/276 2008
पर रजिस्ट्री

निबन्धक (प्रथम)
आगरा